नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.2.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-3-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28.3.23	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत दिनांक 28.4.23 को पेश हो।	
29.5.23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत सिरड़िया मे पेश हुई। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित खाता सं. 34, 25, 35 के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार का नाम काना पुत्र देबी, कन्हैयालाल पुत्र देबीलाल बलाई को विलोपित कर वादी का सही नाम कानालाल भाम्बी पुत्र श्री देबीलाल भाम्बी राजस्व रिकॉर्ड मे किये जाने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में
	बैंक डायरी की फोटो प्रति, आधार कार्ड, पहचानपत्र की फोटो प्रति एंव जमाबंदी खाता संख्या 40 आदि का अध्ययन किये जाने से जाहिर आया कि वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: :: आदेश :: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरड़िया पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल के खाता सं. 34 मे अंकित आराजी नं. 318, 319, 329, 330, 338, 339, 340/3, 340/4, 340/5, 341/1 कुल किता 10 कुल रकबा 1.3152 हैक्टेयर एंव आराजी नं. 331, 332, 333, 334, कुल किता 04 रकबा कुल 0.8093 हैक्टेयर व खाता सं. 35 मे अंकित आराजी नं. 522 रकबा 0.6703 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार का नाम काना पुत्र देबी, कन्हैयालाल पुत्र देबीलाल बलाई का नाम विलोपित कर वादी का सही नाम कानालाल भांम्बी पुत्र देबीलाल भांम्बी राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। हुकमीचन्द [illegible] उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री</u>

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानियां (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री काना लाल भांम्बी S/o श्री देबीलाल भांम्बी निवासी लिरड़िया तहसील-मांडल

<u>वादी</u>

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

<u>प्रतिवादी</u>

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 मुकदमा नं0 / वर्ष 12/23 निर्णय दिनांक 29-05-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्याम लाल रेगर Advo. मजानिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लिरड़िया पटवार हल्का बावड़ी तहसील मांडल के खाता सं. 34 मे अंकित आराजी नं. 318, 319, 329, 330, 338, 339, 340/3, 340/4, 340/5, 341/1 कुल किता 10 रकबा कुल 1.3152 हेक्टेयर व खाता सं. 25 मे अंकित आराजी नं. 331, 332, 333, 334 कुल किता 04 रकबा कुल 0.8093 हेक्टेयर एंव खाता सं. 35 मे अंकित आराजी नं. 522 रकबा 0.6703 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार का नाम काना पुत्र देबी, कन्हैयालाल पुत्र देबी लाल बलाई का नाम विलोपित कर वादी का सही नाम काना लाल भांम्बी पुत्र देबीलाल भांम्बी राजस्व [illegible] का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दरामद करे।

आज तारीख 29-05-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
सहायक कलेक्टर
माण्डल, जिला - भीलवाड़ा
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023